भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1484

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी पंजीकरण के लिए न्यूनतम सीमा"

1484. **श्री राजीव राय**:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती अनुपालन लागतों के बावजूद पिछले कई वर्षों के दौरान 8 लाख रुपये का वार्षिक कारोबार अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण के लिए न्यूनतम सीमा काफी कम रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी पंजीकरण के लिए न्यूनतम सीमा को संशोधित करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए कोई समीक्षा/मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में छोटे व्यापारियों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमों को राहत प्रदान करने के लिए मौजूदा न्यूनतम स्तर को बढ़ाने/युक्तिसंगत बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (घ): जीएसटी के तहत पंजीकरण की सीमा जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। जीएसटी की शुरुआत के समय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए सीमा 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) थी। इसके पश्चात सरकार ने दिनाकं 10.01.2019 को आयोजित जीएसटी परिषद की 32वीं बैठक में की गई सिफारिशों के आधार पर पंजीकरण की सीमा को संशोधित किया और वस्तुओं के लिए इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 20 लाख रुपये) कर दिया तथा सेवाओं के लिए 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) की सीमा को बरकरार रखा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से लागू हो गई है।

जीएसटी परिषद द्वारा उपर्युक्त सीमा में आगे संशोधन के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है।

*****